



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014;

संख्या- FC/89/2021-

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक-

विषय- श्री जीतेन्द्र कुमार द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत गौरभगढ़ मौजा के खाता संख्या-251, 446, 288, खेसरा संख्या-4673, 4676, 4675, थाना संख्या-218, थाना-सुपौल में सुपौल टाउन-हरदी SH-66 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.005775 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि सुपौल जिलान्तर्गत गौरभगढ़ मौजा के खाता संख्या-251, 446, 288, खेसरा संख्या-4673, 4676, 4675, थाना संख्या-218, थाना-सुपौल में सुपौल टाउन-हरदी SH-66 पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.005775 हे. वन भूमि अपयोजन हेतु श्री जीतेन्द्र कुमार, पिता-श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, ग्राम-चौधारा, पोस्ट-हरदी, थाना-सुपौल, जिला-सुपौल का प्रस्ताव जाँचोपरांत वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ के पत्रांक 910, दिनांक 08.09.2021 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-189ई./190ई., दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है तथा भूमि का स्वामित्व, पथ निर्माण विभाग का है। रिटेल आउटलेट में जाने वाले पथ (Entry) तथा निकलने वाले पथ (Exit) की माप सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में इस विषय पर बनी सहमति जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार को इस कार्यालय के ज्ञापांक FC-106 दिनांक 19.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया है, के अधीन है।

इस प्रकार प्रवेश एवं निकास के रास्ते के लिये कुल 0.005775 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में FRA 2006 प्रमाण-पत्र सैद्धांतिक स्वीकृति के अनुपालन के साथ प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4. अपयोजित होने वाली भूमि का GEO Referenced Map एवं Kml File की सॉफ्ट कॉपी अर्थात् सी०डी० प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. अपयोजित होने वाली भूमि का टोपोशीट नक्शा प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल के प्रपत्र-II में अंकित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल पर वृक्ष उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल द्वारा प्रस्तावित स्थल का वानस्पतिक घनत्व 0 (शून्य) अंकित किया गया है।
7. इस रिटेल आउटलेट क्षेत्र के आस-पास कोई राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी अभ्यारण्य नहीं है।
8. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल के प्रपत्र-II में अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्तावित स्थल पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

उक्त अपयोजन प्रस्ताव पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक की अनुशंसा प्राप्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है—

- (i) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।
- (ii) 0.005775 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में रु० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रु० 3,615/- (तीन हजार छः सौ पंद्रह रुपये मात्र) प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- (iii) हरितावरण को बनाये रखने के लिये 100 (एक सौ) वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
- (iv) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।
- (v) भारत सरकार के पत्र संख्या 11-29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश एवं निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय राँची से सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापक- FC/89/2021- 940

दिनांक- 11/10/2021

प्रतिलिपि : श्री जीतेन्द्र कुमार, पिता-श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, ग्राम-चौघारा, पोस्ट-हरदी, थाना-सुपौल, जिला-सुपौल, पिन-825108 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

PART-IV

(To be filled in by Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

The proposed diversion of 0.005775 ha of forest land being parallel of roadside land on SH-66 Road notified as protected forests for providing approach for entry and exit pathways to Retail Outlet of M/s. IOCL owned by Shri Jitendra Kumar and conditions mentioned in the forwarding letter no.- FC/89/2021..940..... dated

11/10/2021

Date : ...11/10/2021

Signature -

Place : Patna.

Name & Designation -

(Official Seal)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना



Arvinder Singh, IFS

APCCF (CAMPA)-cum-

Nodal Officer (FC), Bihar.